न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राज.

पीठासीन अधिकारी :— राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 01/13

दायरा दिनांक 22.01.2013

मूर्ति मन्दिर श्री रामचन्दरजी लछमनजी बिराजमान ग्राम देवरी तहसील शाहावाद जर्ये वादमित्र हरिओम उम्र 50 साल पुत्र श्री छीतरमल जाति महाजन निवासी देवरी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

—वादी

बनाम

1. सीताराम पुत्र कन्हैयालाल जाति गुसाईं निवासी देवरी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
2. मोहनप्रसाद पुत्र कन्हैयालाल जाति गुसाईं निवासी देवरी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
3. कमलाबाई पुत्री कन्हैयालाल जाति गुसाईं निवासी देवरी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान हाल पत्नि हरिचरण गुसाईं निवासी पोहरी जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश
4. शान्तिबाई पुत्री कन्हैयालाल जाति गुसाईं निवासी देवरी हाल निवासी पठारी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
5. मंजूबाई पुत्री कन्हैयालाल जाति गुसाईं निवासी देवरी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान हाल पत्नि बालकिशन गुसाईं निवासी अन्ता तहसील अन्तां जिला बारां राजस्थान
6. बसन्ती पुत्री कन्हैयालाल जाति गुसाईं निवासी देवरी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान हाल पत्नि जगदीश गुसाईं निवासी वडौद तहसील दीगोद जिला कोटा राजस्थान
7. दाखाबाई वेवा कन्हैयालाल जाति गुसाईं निवासी देवरी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
8. विशाल पुत्र श्रीलाल गुसाईं निवासी देवरी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान हाल निवासी डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर राजस्थान नाबालिग जर्ये बली माता सरोज वेवा श्रीलाल निवासी देवरी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान हाल निवासी डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर राजस्थान
9. चन्दा पुत्री श्रीलाल जाति गुसाईं निवासी देवरी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान हाल पत्नि नरेश गोस्वामी, [illegible] सकतपुरा कोटा राज.
10. प्रिया पुत्री श्रीलाल जाति गुसाईं निवासी देवरी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान हाल निवासी डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर राजस्थान
11. प्रतिभा उर्फ पिंकी पुत्री श्रीलाल जाति गुसाईं निवासी देवरी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान हाल निवासी डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:56:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Scanned with CamScanner

12. सरोज वेवा श्रीलाल जाति गुसाईं निवासी देवरी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान हाल निवासी डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर राजस्थान
13. सुआलाल पुत्र गुलाबचन्द जाति किराड निवासी देवरी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
14. गायत्रीबाई पत्नि बुद्विप्रकाश जाति तमौली निवासी शाहावाद तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
15. सुमनलता पत्नि अशोककुमार जाति महाजन निवासी देवरी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

(दोराने दावा फोत)

15/5–दीपक पुत्र अशोककुमार जाति महाजन निवासी देवरी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

16. विशाखा गर्ग पत्नि रोहित गर्ग जाति महाजन निवासी ए 737 इन्द्रबिहार ब्लाक ए वार्ड नम्बर 39 कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान
17. सरजोबाई पत्नि रमेशचन्द जाति किराड निवासी भोयल तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
18. ओमप्रकाश पुत्र चम्पालाल जाति किराड निवासी देवरी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
19. संजय पुत्र चम्पालाल जाति किराड निवासी देवरी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
20. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार शाहावाद जिला बारां राजस्थान

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय–दिनांक 20.10.2022

उपस्थित–

1. वादी की ओर से–श्री वीरेन्द्र अग्रवाल एडवोकेट
2. प्रतिवादी कम 1 की ओर से–एकपक्षीय
3. प्रतिवादी 2 व 7 की ओर से–श्री अरविन्द बर्मा एडवोकेट
3. प्रतिवादी कम 3,4,5,6,8,9,10 व 11लगायत 19 की ओर से–श्री हेमराज नामदेव अभिभाषक
4. प्रतिवादी कम 20 की ओर से–पैरोकार सरकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:56:14 IST
Reason: SelfAttested

वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम देवरी तहसील शाहाबाद में पुराने बाजार में मूर्ति मन्दिर श्री रामचन्द्रजी लछमनजी स्थित है जो आम हिन्दुजन के आस्था एवं पूजा अर्चना का पवित्र धार्मिक स्थल है इस मूर्ति मन्दिर श्री रामचन्दरजी लछमनजी के खाते में ग्राम देवरी तहसील शाहावाद में सम्बत 2008 से 2011 में खसरा नम्बर 379 रकबा 10 वीघा 07 विस्वा, खसरा नम्बर 381 रकबा 4 बीघा 14 विस्वा, खसरा नम्बर 1014 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

1046 रकबा 3 बीघा 16 विस्वा, खसरा नम्बर 1047 रकबाा 06 विस्वा, खसरा नम्बर 1048 रकबा 3.00 बीघा, खसरा नम्बर 1049 रकवा 12 विस्वा तथा खसरा नम्बर 1052 रकबा 02 बीघा 18 विस्वा कुल किता 8 कुल रबवा 33 बीघा 18 विस्वा भूमि रही है, इस मन्दिर के पुजारी लछमन पुत्र हीरालाल जाति गुसाईं निवासी देवरी रहे, सैटलमेन्ट के दौरान यह भूमि अवैधानिक तौर पर लछमन के पुत्र कन्हैयालाल ने अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा ली, सैटलमेंन्ट के बाद इस भूमि की सैटलमेन्ट विभाग ने जो जमाबन्दी सम्वत 2020 से 2039 जारी की उसमें आराजीयात के नये नम्बर इस प्रकार से बनाये खसरा नम्बर 455 रकबा 4.09 बीघा, खसरा नम्बर 457 रकबा 4.14 बीघा, खसरा नम्बर 470 रकबा 5.18 बीघा, खसरा नम्बर 1605 रकबा 5.06 बीघा, खसरा नम्बर 1608 रकबाा 2.15 बीघा, खसरा नम्बर 1613 रकबा 1.17 बीघा, खसरा नम्बर 1614 रकवा 3.06 बीघा, खसरा नम्बर 1615 रकबा 0.05 बीघा, खसरा नम्बर 1616 रकबा 1.00 बीघा, खसरा नम्बर 1617 रकबा 0.03 बीघा, खसरा नम्बर 1618 रकबा 1.08 बीघा, खसरा नम्बर 1619/1764 रकबा 2.17 बीघा कुल किता 12 कुल रबवा 33 बीघा 18 विस्वा। तहसील शाहाबाद में सैटलमेन्ट के दौरान खसरा मीलान नहीं बनाया गया है ना ही जिला रिकार्ड रूम में सेटलमेन्ट से पूर्व का ग्राम देवरी का नक्शा उपलब्ध है, लेकिन सैटलमेन्ट से पूर्व ग्राम देवरी में लक्षमन पुत्र हीरालाल गुसाईं या उसके पुत्र कन्हैयालाल के नाम से 33 बीघा 18 विस्वा भूमि का कोई खाता नहीं रहा है तथा ग्राम देवरी के सैटलमेन्ट के बाद जो सैटलमेन्ट जमाबन्दी सम्बत 2020 से 2039 जारी की गई है, उसमें वादी के नाम का कोई खाता नहीं बनाया गया। कन्हैयालाल का विवादित आराजीयात में कोई हक या अधिकार नहीं रहा है, ना ही सैट्टलमेन्ट के दौरान राजस्व रिकार्ड मन्दिर मूर्ति का नाम हटाने का कोई अधिकार था। कन्हैयालाल ने राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाते हुये विवादित भूमि में से खसरा नम्बर 457, 470 की भूमि प्रतिवादी कम 13 व उसके भाई कल्याण को विकय कर दी जिसका नामान्तरण संख्या 503 खोला गया जिसका अमल 19/04/1983 को तहसीलदार शाहावाद ने यह लिखकर रोक दिया था कि उक्त खाता मन्दिर श्री रामजानकी का था, पुजारी ने गलत तौर पर अपने खाते बन्धवाकर जमीन बेची है। इसके बाद प्रतिवादी कम 13 ने 1993 में पटवारी हल्का से सांठ गांठ कर अवैध विकयपत्र के आधार पर नामान्तरण नम्बर 827 से उक्त दोनो खसरा नम्बर की भूमि अपने नाम दर्ज करा ली। पुजारी कन्हैयालाल की मृत्यु उपरान्त उनके स्थान पर प्रतिवादी 1 ता 7 तथा श्रीलाल राधेश्याम के नाम वारिसान रिकार्ड में दर्ज हो गये, इनमें से श्रीलाल की मृत्यु हो जाने से श्रीलाल के स्थान पर प्रतिवादी 8 ता 12 के नाम रिकार्ड में दर्ज कर दिये, वर्तमान में राधेश्याम भी कम लाऔलाद फौत हो चुका है, जिसका इन्तकाल अभी दर्ज नहीं हुआ है प्रतिवादी कम 7 उसकी मां होकर एकमात्र वैधानिक वारिस है, प्रतिवादी कम 8 नाबालिग है जिनकी बली माता प्रतिवादी कम 12 रिकार्ड में दर्ज है तथा उसी के संरक्षण में पल बढ रहे हैं,

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:56:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Scanned with CamScanner

उनके हित एक दूसरे के बिपरीत नहीं है, इस कारण प्रतिवादी कम 12 को उनका वादार्थ संरक्षक नियुक्त कर यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। इसी तरह खसरा नम्बर 457, 470 के केताओं में से कल्याण लाऔलाद कुंवारा फौत हो जाने के कारण उसका हिस्सा उसके भाई सहखातेदार सुआलाल प्रतिवादी कम 13 के नाम दर्ज कर दिया है। सुआलाल ने खसरा नम्बर 470 रकबा 5.18 बीघा में से 16 विस्वा भूमि एन एच–76 में अवाप्त होने के बाद 2.10 बीघा भूमि प्रतिवादी 14 गायत्रीबाई को विकय कर दी तथा 1.00 बीघा भूमि प्रतिवादी कम 17 सरजोबाई को व 10 विस्वा भूमि प्रतिवादी कम 16 विशाखा गर्ग को विकय कर दी शेष 2 विस्वा भूमि आज भी प्रतिवादी कम 13 के नाम दर्ज है, इसी तरह से सुआलाल प्रतिवादी कम 13 ने खसरा नम्बर 457 रकवा 4.14 बीघा में से 1.07 बीघा भूमि एन एच में अवाप्त हो जाने के बाद शेष 3.07 बीघा में से 17 विस्वा भूमि प्रतिवादी कम 15 सुमनलता को तथा 2.10 बीघा भूमि प्रतिवादी कम 16 विशाखा गर्ग को विकय कर दी, इसके उपरान्त खसरा नम्बर 455 रकवा 4.09 बीघा में से 13 विस्वा भूमि एन एच 76 के निर्माण हेतु अवाप्त होने के बाद शेष बची 3.16 बीघा में से प्रतिवादी कम 3 ता 6 एवं मृतक राधेश्याम ने 5/9 हिस्सा करीबन 2.02 बीघा भूमि प्रतिवादी कम 18 ओमप्रकाश व प्रतिवादी 19 संजय को विकय कर दी। विवादित भूमि में से खसरा नम्बर 457 रकवा 4.14 बीघा में से 1.07 बीघा, खसरा नम्बर 470 रकवा 5.18 बीघा में से 16 विस्वा, खसरा नम्बर 455 रकवा 4.09 बीघा में से 13 विस्वा कुल 2.16 बीघा भूमि एन एच 76 निर्माण हेतु अवाप्त कर ली गई है, जिसका मुआवजा भी प्रतिवादीगण ने अवैधाकित तौर पर ले लिया है। इस तरह विवादित आराजी 33.18 बीघा में से 2.16 बीघा भूमि हाईवे में अवाप्त होने के बाद शेष 31.02 बीघा भूमि वादी की है, जिसे प्रतिवादी 1 ता 19 ने अपने खाते दर्ज करा रखी है, जिस पर वादी अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करा अपने नाम दर्ज कराने का हकदार है। प्रतिवादीगण द्वारा किये गये समस्त अन्तरण अवैध व प्रभावशून्य है। मूर्ति मन्दिर शाश्वत नाबालिग है जिसकी भूमि को विकय करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। कन्हैयालाल ने उक्त भूमि को विकय किया है और यही काम उसके पुत्र पुत्रियों ने चालू कर दिया है। हरिओम गुप्ता ग्राम देवरी का निवासी होकर वादी मन्दिर मूर्ति के प्रति पूर्वजों की तरह श्रद्वा भाव रखता है, मन्दिर के पुजारी द्वारा मन्दिर की भूमि को बेचकर निन्दनीय कार्य किया है ऐसी दशा में हरिओम गुप्ता के द्वारा मन्दिर मूर्ति के हित में वाद पेश किया है, इत्यादि।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गई। प्रतिवादीगण की ओर से जबावदावा मय काउन्टरक्लेम प्रस्तुत कर दावे की मद नम्बर 1 को अस्वीकार करते हुये विवादित भूमि को मूर्ति मन्दिर रामचन्दरजी लछमनजी के खातेदारी की होना अस्वीकार किया है। दावे की मद नम्बर 2 में खसरा नम्बर 457 व 470 के खातेदार कन्हैयालाल द्वारा प्रतिवादी कम 13 सुआलाल व उसके भाई कल्याण को विकय किया जाना स्वीकार करते हुये कथन किया गया है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:56:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

उक्त भूमि में कन्हैयालाल को वैधानिक अधिकार निहित थे, इस कारण उनके द्वारा किया गया विक्रय वैध है। तहसीलदार शाहावाद को नामान्तरण पर नोट अंकित करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं था। कन्हैयालाल के वैधानिक वारिसान का वर्णन स्वीकार है तथा प्रतिवादी कम 13, 14, 16, 17 को आराजी खसरा नम्बर 457 का किया गया बेचान वैध है तथा प्रतिवादी 3 ता 6 द्वारा प्रतिवादी 18 व 19 को किया गया बेचान विधि सम्मत है। जबाव दावे की मद नम्बर 3 जिस तरह लिखी गई है, उसे अस्वीकार कर कथन किया है कि वादी का विवादित आराजी में कोई खातेदारी हक निहित नहीं है। जबाव की मद नम्बर 4 को अस्वीकार कर कथन किया है कि हरिओम गुप्ता का वादमित्र बनकर वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है, दुर्भावनावश, एवं रंजिशन वाद पेश किया गया है। दावे की मद नम्बर 5 को अस्वीकृत करते हुये मद नम्बर 6 को अस्वीकार कर वादकारण का अभाव बताया है। दावे की मद नम्बर 6 को अस्वीकार कर कथन किया है कि खातेदारान ने स्वयं के खाते की आराजी का बेचान किया है, वादी को विक्रयशुदा आराजी के सम्बन्ध में कोई अनुतोष प्राप्त करना है तो सक्षम सिविल न्यायालय में वाद पेश करना चाहिये था।

प्रतिवादीगण की ओर से विशेष आपत्तियां एवं काउन्टरक्लेम अन्तर्गत कथन किया गया है कि खसरा नम्बर 379 रकवा 10.07 बीघा व खसरा नम्बर 381 रकवा 4.14 बीघा मृतक लक्षमण के खाते की थी जो लक्षमण को अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई और लक्षमण के मरने पर विरासतन कन्हैयालाल को प्राप्त हुई है। आराजी खसरा नम्बर 1014 रकवा 7.15 बीघा, खसरा नम्बर 1046 रकवा 3.16 बीघा, खसरा नम्बर 1047 रकवा 6 विस्वा, खसरा नम्बर 1048 रकवा 3.10 बीघा, खसरा नम्बर 1049 रकवा 7 विस्वा, खसरा नम्बर 1052 रकवा 2.18 बीघा माफी पुण्यार्थ पूजा व व्यवस्था मन्दिर रामचन्दरजी लछमनजी के नाम माफी पुण्यार्थ मन्दिर थी, लक्ष्मणजी व इनके बुजुर्ग हीरालालजी उक्त मूर्ति मन्दिर की आजीवन सेवा पूजा व्यवस्था करते रहे और इसके पूर्व इनके बुजुर्ग करते रहे हैं और यह आराजीयात माफी पुन्यार्थ सेवा पूजा पर ही बहैसियत टेनेन्ट काबिज व काश्त करते चले आ रहे हैं, अतः विधि अनुसार बाई आपरेशन आफ ला लक्ष्मण पुत्र हीरालाल को माफी पुन्यार्थ पर हक खातेदारी प्राप्त हो गये, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने व माफी खालसा होने के पूर्व से तथा माफी रिज्यूम होने के समय भी बतौर टेनेन्ट काबिज होने के कारण लक्ष्मण पुत्र हीरालाल को इन समस्त आराजीयात पर बाई आपरेशन आफ लॉ खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये तथा लक्ष्मण की मृत्यु उपरान्त उनके पुत्र कन्हैयालाल को उक्त खातेदारी अधिकार विरासतन प्राप्त हुये हैं, कन्हैयालाल को [illegible] इस समस्त आराजीयात का खातेदार स्वीकार कर कन्हैयालाल के हक में [illegible] मान्यता प्रदान की गई। कन्हैयालाल व उनके वारिसान द्वारा प्रतिवादी क्रम 13 सुआलाल, 14 गायत्रीबाई, 15 सुमनलता, 16 विशाखा, 17 सरजोबाई, 18 ओमप्रकाश तथा 19 संजय को बेचान होकर केताओं के नाम नामान्तरण होकर खातेदारी में अंकन हो चुका है

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:56:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Scanned with CamScanner

तथा उक्त समस्त केता मौके पर काबिज काश्त हैं, जिसमें हरिओम गुप्ता को वादमित्र बनकर दखलन्दाजी करने का कोई हक नहीं है। हरिओम गुप्ता ने तथा प्रतिवादी कम 16 ने पैट्रोल पम्प के लिये आवेदन किया था, हरिओम का आवेदन निरस्त हो गया तथा प्रतिवादी कम 16 को पैट्रोल पम्प का आवंटन हो गया, इसी कारण हरिओम गुप्ता प्रतिवादीगण को गलत तरीके से दखलन्दाजी की धमकी देता है, जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं है। इस कारण प्रतिवादपत्र के जरिये हरिओम गुप्ता को पाबन्द फरमावें कि वह प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में कोई दखलन्दाजी नहीं करे।

दावा तथा जबावदावा प्रतिवाद तथा जबावुल जबाव के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई :–

1–आया विवादित भूमि मूर्ति मन्दिर श्री रामचन्दरजी लछमनजी विराजमान देवरी के खाते की रही है, जिसका नाम दौराने सैटलमेन्ट बिना किसी सक्षम न्यायालय के हटाकर पुजारी कन्हैयालाल के नाम दर्ज कर दिया गया ?

–बजिम्मे वादी

2–आया विवादित भूमि मूर्ति मन्दिर के खाते की होने से पुजारी या अन्य किसी को खातेदारी प्राप्त नहीं हो सकती ?

–बजिम्मे वादी

3–आया विवादित भूमि में से मूर्ति मन्दिर के पुजारी एवं उसके वारिसान द्वारा प्रतिवादी कम 13 ता 19 को विक्रय कर अन्तरित कर दी गई है, यह अन्तरण अवैध होकर मूर्ति मन्दिर के प्रति अप्राभावी है, जिन्हे बेदखल कर मूर्ति मन्दिर को दिलाया जाना उचित होगा ?

–बजिम्मे वादी

4– आया हरिओम गुप्ता को मूर्ति मन्दिर की ओर से वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है ?

–बजिम्मे प्रतिवादी

5– आया माफी रिज्यूम होने के समय लक्ष्मण पुत्र कन्हैयालाल का कब्जा होने से वह खातेदार हो गये हैं ?

–बजिम्मे प्रतिवादी

वादी की ओर से अपने दावे के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में स्वयं वादी हरिओम गुप्ता को पी.डब्ल्यू–1 के रूप में परीक्षित कराया गया और दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में ग्राम देवरी तहसील शाहाबाद की नकल जमाबन्दी खाता संख्या 657 प्रदर्श–1, खाता सं[illegible] संख्या 697 प्रदर्श–3, खाता संख्या 134 प्रदर्श–4, नकल जमाबन्दी [illegible] खाता संख्या 189 प्रदर्श–5, नकल जमाबन्दी सम्ब[illegible] से 2011 [illegible]–6, ग्राम देवरी के नामान्तरण नम्बर 503 की नकल [illegible] नम्बर 827 की नकल प्रदर्श–8, नामान्तरण नम्बर 1986 की नकल प्रदर्श[illegible] नामान्तरण नम्बर 2068 की नकल प्रदर्श–10, नामान्तरण नम्बर 2287 की नकल प्रदर्श–11, नामान्तरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:56:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Scanned with CamScanner

नम्बर 1935 की नकल प्रदर्श–12, नामान्तरण नम्बर 1946 की नकल प्रदर्श–13, नामान्तरण नम्बर 1947 की नकल प्रदर्श–14 तथा नामान्तरण नम्बर 1952 की नकल प्रदर्श–15 पेश की। प्रतिवादी की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में डी. डब्ल्यू–1 शान्तिबाई, डी.डब्ल्यू–2 सरोज, डी.डब्ल्यू–3 सुआलाल, डी.डब्ल्यू–4 विशाखा, डी.डब्ल्यू–6 गायत्रीबाई, डी.डब्ल्यू–7 सुमनलता, डी.डब्ल्यू–8 सरजोबाई, डी.डब्ल्यू–9 ओमप्रकाश, डी.डब्ल्यू–10 संजय के बयान दर्ज कराये गये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर तनकीबार विश्लेषण निम्न प्रकार है :–

<u>तनकी नम्बर–01 :–</u>आया विवादित भूमि मूर्ति मन्दिर श्री रामचन्दरजी लछमनजी विराजमान देवरी के खाते की रही है, जिसका नाम दौराने सैटलमेन्ट बिना किसी सक्षम न्यायालय के हटाकर पुजारी कन्हैयालाल के नाम दर्ज कर दिया गया ?

इस तनकी को साबित करने का भार वादी का है। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबन्दी सेटलमेंन्ट सम्वत 2020–2039 प्रदर्श–5 में दर्ज खसरा नम्बरान 455 रकबा 4.09 बीघा, खसरा नम्बर 457 रकबा 4.14 बीघा, खसरा नम्बर 470 रकबा 5.18 बीघा, खसरा नम्बर 1605 रकबा 5.06 बीघा, खसरा नम्बर 1608 रकबाा 2. 15 बीघा, खसरा नम्बर 1613 रकबा 1.17 बीघा, खसरा नम्बर 1614 रकवा 3.06 बीघा, खसरा नम्बर 1615 रकबा 0.05 बीघा, खसरा नम्बर 1616 रकबा 1.00 बीघा, खसरा नम्बर 1617 रकबा 0.03 बीघा, खसरा नम्बर 1618 रकबा 1.08 बीघा, खसरा नम्बर 1619/1764 रकबा 2.17 बीघा भूमि को ही वादी द्वारा सेटलमेन्ट पूर्व के खसरा नम्बरान 379 रकबा 10 वीघा 07 विस्वा, खसरा नम्बर 381 रकबा 4 बीघा 14 विस्वा, खसरा नम्बर 1014 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 1046 रकबा 3 बीघा 16 विस्वा, खसरा नम्बर 1047 रकबाा 06 विस्वा, खसरा नम्बर 1048 रकबा 3.00 बीघा, खसरा नम्बर 1049 रकवा 12 विस्वा तथा खसरा नम्बर 1052 रकबा 02 बीघा 18 विस्वा भूमि होना बतलाया है, जो जमाबन्दी प्रदर्श 6 में दर्ज है। वादी का कथन रहा है कि तहसील शाहाबाद में सेटलमेन्ट के दौरान खसरा मिलान नहीं बनाया गया है, ना ही जिला रिकार्ड रूम में सेटलमेन्ट से पूर्व का ग्राम देवरी का नक्शा उपलब्ध है। सैटलमेन्ट से पूर्व ग्राम देवरी में लक्षमन पुत्र हीरालाल गुसाईं या उसके पुत्र कन्हैयालाल के नाम से 33 बीघा 18 विस्वा भूमि का कोई खाता नहीं रहा है तथा ग्राम देवरी के सैटलमेन्ट के बाद जो सैटलमेन्ट जमाबन्दी सम्बत 2020 से 2039 जारी की गई है, उसमें वादी के नाम का खाता नहीं बनाया गया है, जिससे साबित है कि सेटलमेंट जमाबन्दी प्रदर्श 6 में जो भूमि वही भूमि है, जो सेटलमेंट के पूर्व की प्रस्तुत जमाबंदी प्रदर्श 6 में मूर्ति मन्दिर श्री रामचन्दरजी लछमन जी के नाम दर्ज रही है। इसके विपरित प्रतिवादीगण का कथन रहा है कि उक्त भूमि माफी पुण्यार्थ पूजा व व्यवस्था मन्दिर रामचन्दरजी लछमनजी के नाम माफी पुण्यार्थ मन्दिर थी, लक्ष्मणजी व इनके बुजुर्ग हीरालालजी उक्त मूर्ति

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:56:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मन्दिर की आजीवन सेवा पूजा व्यवस्था करते रहे और इसके पूर्व इनके बुजुर्ग करते रहे हैं और यह आराजीयात माफी पुन्यार्थ सेवा पूजा पर ही बहैसियत टेनेन्ट काबिज व काश्त करते चले आ रहे हैं, अतः विधि अनुसार बाई आपरेशन आफ ला लक्ष्मण पुत्र हीरालाल को माफी पुन्यार्थ पर हक खातेदारी प्राप्त हो गये, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने व माफी खालसा होने के पूर्व से तथा माफी रिज्यूम होने के समय भी बतौर टेनेन्ट काबिज होने के कारण लक्ष्मण पुत्र हीरालाल को इन समस्त आराजीयात पर बाई आपरेशन आफ लॉ खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये तथा लक्ष्मण की मृत्यु उपरान्त उसके पुत्र कन्हैयालाल को उक्त खातेदारी अधिकार विरासतन प्राप्त हुये हैं, कन्हैयालाल को बन्दोवस्त में इस समस्त आराजीयात का खातेदार स्वीकार कर कन्हैयालाल के हक को मान्यता प्रदान की गई। प्रतिवादीगण के इन कथनो से यह स्पष्ट है कि जमाबंदी प्रदर्श 5 में दर्ज भूमि वही भूमि है, जो सेटलमेंट के पूर्व जमाबंदी प्रदर्श 6 में दर्ज है।

चूंकि उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी प्रदर्श 6 के अनुसार माफी मन्दिर श्री रामचन्दरजी लछमनजी के नाम दर्ज रही है, जिस पर लछमन बेटा हीरालाल जाति गुसाईं का नाम कब्जाधारी की हैसियत से दर्ज रहा है। मूर्ति मन्दिर शाश्वत नाबालिग होती है, जिस पर पुजारी अथवा अन्य किसी भी कब्जाधारी को कोई हक अथवा अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं, सेटलमेंट अथार्टी को जमाबंदी के इन्द्राज परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं था। इस प्रकार इस तनकी को साबित करने में वादी सफल रहा है। अतः यह तनकी वादी के हक में निर्णीत की जाती है।

<u>तनकी नम्बर–02 :–</u> आया विवादित भूमि मूर्ति मन्दिर के खाते की होने से पुजारी या अन्य किसी को खातेदारी प्राप्त नहीं हो सकती ?

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। तनकी संख्या 1 में किये गये विस्तृत विवेचन से साबित है कि नकल जमाबन्दी सेटलमेंन्ट सम्वत 2020–2039 प्रदर्श–5 में दर्ज भूमि वही भूमि है, जो सैटलमेन्ट से पूर्व की नकल जमाबन्दी सम्बत 2008 से 2011 प्रदर्श–6 में दर्ज है और जमाबंदी प्रदर्श 6 अनुसार उक्त भूमि माफी मन्दिर श्री रामचन्दरजी लछमनजी के नाम दर्ज रही है, जिस पर किसी को भी कोई हक अथवा अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। प्रतिवादी के कथनानुसार उक्त विवादित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने के पूर्व से ही दाखि[illegible] होकर बतौर खातेदार प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 12 के पूर्वज लछमन बेटा हीराल[illegible] म दर्ज हो चुकी थी, जो राजस्थान काश्तकारी अधि[illegible] के [illegible] प्रतिवादी के खाते दर्ज होने के कारण विवादित भू[illegible] कोई [illegible]धिकार शेष नहीं रहे हैं। मुताविक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी [illegible] 6 अनुसार लछमन बेटा हीरालाल का नाम उक्त भूमि पर कब्जाधारी की हैसियत से दर्ज रहा है, जिसे

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:56:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Scanned with CamScanner

माफी मन्दिर की भूमि पर कोई हक अथवा अधिकार कानूनन प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इस कारण यह तनकी भी वादी के हक में निर्णीत की जाती है।

<u>तनकी नम्बर–03 :–</u>आया विवादित भूमि में से मूर्ति मन्दिर के पुजारी एवं उसके वारिसान द्वारा प्रतिवादी कम 13 ता 19 को विकय कर अन्तरित कर दी गई है, यह अन्तरण अवैध होकर मूर्ति मन्दिर के प्रति अप्राभावी है, जिन्हे बेदखल कर मूर्ति मन्दिर को दिलाया जाना उचित होगा ?

इस तनकी को साबित करने का भार वादी का है। चूंकि विवादित भूमि माफी मन्दिर श्री रामचन्दरजी लछमनजी के नाम दर्ज रही है, जिस पर प्रतिवादी 1 लगायत 12 के पूर्वज लछमन बेटा हीरालाल कब्जाधारी थे, जिनके बाद विवादित भूमि खातेदार कन्हैयालाल वल्द लछमनलाल गुसाईं के नाम दर्ज हुई है, इस कारण कन्हैयालाल व उनके वारिसान द्वारा प्रतिवादी कम 13 सुआलाल, 14 गायत्रीबाई, 15 सुमनलता, 16 विशाखा, 17 सरजोबाई, 18 ओमप्रकाश तथा 19 संजय को किया गया विकय मूर्ति मन्दिर शाश्वत नाबालिग के हितों के विपरीत होने से अवैध तथा प्रभाव शून्य होना पाया जाता है। इस कारण उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा अवैध होना पाया जाता है, जो बेदखली योग्य है। अतः यह तनकी भी वादी के हक में निर्णीत की जाती है।

<u>तनकी नम्बर–04 :–</u> आया हरिओम गुप्ता को मूर्ति मन्दिर की ओर से वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है ?

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण का है। वादमित्र हरिओम गुप्ता द्वारा उक्त वाद मूर्ति मन्दिर सीतारामजी लछमनजी विराजमान ग्राम देवरी की ओर से प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता का आक्षेप है कि मूर्ति मन्दिर शाश्वत नाबालिग होती है, जिनकी ओर से कोई वाद तब तक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जब तक कि आदेश 32 सिविल प्रकिया संहिता में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत वादमित्र नियुक्त होने की अनुमति सक्षम न्यायालय से प्राप्त नहीं कर ली गई हो। इस प्रकरण में वादमित्र हरिओम गुप्ता द्वारा विधि के इस आदेशात्मक प्रावधान की कोई पालना नहीं की गई है, वास्तव में वादमित्र नियुक्त होने की अनुमति वाद प्रस्तुत किये जाने के पूर्व आदेश 32 सिविल प्रकिया संहिता अन्तर्गत हस्तगत प्रकरण में हरिओम गुप्ता को प्राप्त करनी चाहिये थी, जो प्राप्त नहीं की गई है। मूर्ति मन्दिर के हितार्थ वादमित्र हरिओम गुप्ता की ओर से यह वाद प्रस्तुत किया गया है। मन्दिर मूर्ति जो शाश्वत नाबालिग होती है, की ओर से कोई भी व्यक्ति वाद प्रस्तुत कर सकता है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के विरू[illegible] की जाती है।

<u>तनकी नम्बर–05 :–</u> आया माफी [illegible] कन्हैयालाल का कब्जा होने से वह खातेदार [illegible] ?

इस तनकी को साबित करने [illegible] है। यदि वादी के कथनानुसार नकल जमाबन्दी सेटलमेंन्ट सम्वत 2020–39 प्रदर्श–5 में दर्ज विवादित भूमि ही सैटलमेन्ट के पूर्व की वही भूमि है, जो नकल जमाबन्दी सम्बत

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:56:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Scanned with CamScanner

2008 से 11 प्रदर्श–6 में दर्ज है, तब भी उक्त भूमि जमाबन्दी सम्बत 2008–11 प्रदर्श–6 में लछमन बेटा हीरालाल का जात गुसाईं बास गांव के नाम बतौर टेनेन्ट दर्ज न होकर महज कब्जाधारी कह हैसियत से दर्ज रही है, जो रिज्युम नहीं हो सकती, ना ही रिकार्ड में रिज्युम का कोई नोट अंकित है। इस प्रकार यह तनकी भी प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णीत की जाती है।

अतः उपरोक्त विस्तृत विश्लेषण के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 455 रकबा 4.09 बीघा, खसरा नम्बर 457 रकबा 4.14 बीघा, खसरा नम्बर 470 रकबा 5.18 बीघा, खसरा नम्बर 1605 रकबा 5.06 बीघा, खसरा नम्बर 1608 रकबाा 2.15 बीघा, खसरा नम्बर 1613 रकबा 1.17 बीघा, खसरा नम्बर 1614 रकवा 3.06 बीघा, खसरा नम्बर 1615 रकबा 0.05 बीघा, खसरा नम्बर 1616 रकबा 1.00 बीघा, खसरा नम्बर 1617 रकबा 0.03 बीघा, खसरा नम्बर 1618 रकबा 1.08 बीघा, खसरा नम्बर 1619/1764 रकबा 2.17 बीघा कुल किता 12 कुल रबवा 33 बीघा 18 विस्वा ग्राम देवरी तहसील शाहावाद का वादी श्री रामचन्दरजी लछमनजी बिराजमान देवरी को खातेदार घोषित किया जाकर आदेश दिया जाता है कि उक्त भूमि को राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी माफी मन्दिर श्री रामचन्दरजी लछमनजी बिराजमान देवरी तहसील शाहावाद के नाम दर्ज किया जावे तथा उक्त भूमि पर से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 20/10/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। तदानुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:56:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

डिकी मुकदमा इन्तदाई

(आदेश 20 नियम 6–7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत– उपखण्ड अधिकारी मुकाम– शाहाबाद

व इजलास – राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

मूर्ति मन्दिर श्री रामचन्दरजी लछमनजी बिराजमान ग्राम देवरी तहसील शाहांवाद जर्ये वादमित्र हरिओम उम्र 50 साल पुत्र श्री छीतरमल जाति महाजन निवासी देवरी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

–वादी

बनाम

1. सीताराम पुत्र-कन्हैयालाल जाति गुसाईं निवासी देवरी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
2. मोहनप्रसाद पुत्र कन्हैयालाल जाति गुसाईं निवासी देवरी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
3. कमलाबाई पुत्री कन्हैयालाल जाति गुसाईं निवासी देवरी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान हाल पत्नि हरिचरण गुसाईं निवासी पोहरी जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश
4. शान्तिबाई पुत्री कन्हैयालाल जाति गुसाईं निवासी देवरी हाल निवासी पठारी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
5. मंजूबाई पुत्री कन्हैयालाल जाति गुसाईं निवासी देवरी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान हाल पत्नि बालकिशन गुसाईं निवासी अन्ता तहसील अन्ता जिला बारां राजस्थान
6. बसन्ती पुत्री कन्हैयालाल जाति गुसाईं निवासी देवरी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान हाल पत्नि जगदीश गुसाईं निवासी वडौद तहसील दीगोद जिला कोटा राजस्थान
7. दाखाबाई वेवा कन्हैयालाल जाति गुसाईं निवासी देवरी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
8. विशाल पुत्र श्रीलाल गुसाईं निवासी देवरी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान हाल निवासी डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर राजस्थान नाबालिग जर्ये बली माता सरोज वेवा श्रीलाल निवासी देवरी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान हाल निवासी डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर राजस्थान
9. चन्दा पुत्री श्रीलाल जाति गुसा[illegible]वाद जिला बारां राजस्थान हाल पत्नि नरेश गोस्वामी, मुन्ना टे[illegible] सकतपुरा कोटा राज.
10. प्रिया पुत्री श्रीलाल जाति गुसा[illegible] देवरी त[illegible] शाहावाद जिला बारां राजस्थान हाल निवासी डबोक [illegible] राजस्थान
11. प्रतिभा उर्फ पिंकी पुत्री श्रीलाल जाति गुसाईं नि[illegible] देवरी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान हाल निवासी डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:56:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Scanned with CamScanner

12\. सरोज वेवा श्रीलाल जाति गुसाईं निवासी देवरी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान हाल निवासी डबोक तहसील मावली जिलां उदयपुर राजस्थान

13\. सुआलाल पुत्र गुलाबचन्द जाति किराड निवासी देवरी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

14\. गायत्रीबाई पत्नि बुद्विप्रकाश जाति तमौली निवासी शाहावाद तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

15\. सुमनलता पत्नि अशोककुमार जाति महाजन निवासी देवरी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान (दोराने दावा फोत)

15/5--दीपक पुत्र अशोककुमार जाति महाजन निवासी देवरी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

16\. विशाखा गर्ग पत्नि रोहित गर्ग जाति महाजन निवासी ए 737 इन्द्रबिहार ब्लॉक ए वार्ड नम्बर 39 कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान

17\. सरजोबाई पत्नि रमेशचन्द जाति किराड निवासी भोयल तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

18\. ओमप्रकाश पुत्र चम्पालाल जाति किराड निवासी देवरी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

19\. संजय पुत्र चम्पालाल जाति किराड निवासी देवरी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

20\. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार शाहावाद जिला बारां राजस्थान

—प्रतिवादीगण

दावा वास्ते घोषणा अन्तर्गत धारा 88,183 राज. काश्त. अधि. 1955

वाद संख्या – 01/13

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..

व हाजरी..................................मिनजामिन मुद्दई रूबरू..

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि.... वादी का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 455 रकबा 4.09 बीघा, खसरा नम्बर 457 रकबा 4.14 बीघा, खसरा नम्बर 470 रकबा 5.18 बीघा, खसरा नम्बर 1605 रकबा 5.06 बीघा, खसरा नम्बर 1608 रकबाा 2.15 बीघा, खसरा नम्बर 1613 रकबा 1.17 बीघा, खसरा नम्बर 1614 रकवा 3.06 बीघा, खसरा नम्बर 1615 रकबा 0.05 बीघा, खसरा नम्बर 1616 रकबा 1.00 बीघा, खसरा नम्बर 1617 रकबा 0.03 बीघा, खसरा नम्बर 1618 रकबा 1.08 बीघा, खसरा नम्बर 1619/1764 रकबा 2.17 बीघा कुल किता 12 कुल रबवा 33 बीघा 18 बिस्वा ग्राम देवरी तहसील शाहावाद का वादी श्री रामचन्दरजी लछमनजी बिराजमान देवरी को खातेदार घोषित किया जाकर आदेश दिया जाता है कि उक्त भूमि को राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में श्री मन्दिर श्री रामचन्दरजी लछमनजी बिराजमान देवरी तहसील शाहावाद के नाम दर्ज किया जावे तथा उक्त भूमि पर से प्रतिवादीगण का कब्जा हटाया जावे। मिलि ....

मुबलिग..................................बावत..................................

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह..................फसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....को अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20.10.2022 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.03.13 16:56:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Scanned with CamScanner

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

मुददई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प अर्जीदावा
स्टाम्प वकालतनामा			सटाम्प अर्जी
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना बकील
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहान
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुकमनामा
बवत इजराय हुकमनामा			मुतफरीक मीजान
मुतफरीक			

नोट– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिकी के जरिये दिखया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:56:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner